2017/ ... RCMS 00462

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. धर्मसिंह पुत्र चिरंजी जाति गूर्जर निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल वासी कडी गावडी तहसील गंगापुर सिटी जिला स0मा0।
2. राजकुमार पुत्र बजरंगलाल गूर्जर निवासी सालौदा तहसील गंगापुर जिला स0मा0।

(वादीगण)

बनाम

1. वरन पुत्र हेमराज गूर्जर
2. केदार पुत्र हेमराज
   जाति गूर्जर निवासी गूर्जर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
4. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डौन सिटी।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

दावा बावत डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा
मु0न0 115/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू, श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी धर्मसिंह पुत्र चिरंजी जाति गूर्जर निवासी निसूरा हाल वासी कडी गावडी तहसील गंगापुर सिटी को ग्राम निसूरा की आराजी ख0न0 147/0.15, 2799/0.32, 2817/0.03, 3063/0.10 कुल किता 4 कुल रकबा 0.60 है0 का, वादी राजकुमार पुत्र बजरंगलाल जाति गूर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर स0मा0 को ख0न0 162/0.29, 180/0.04, 181/0.15, 956/0.02, 1958/0.09 कुल किता 5 कुल रकबा 0.59 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी वरन पुत्र हेमराज हि. 5/12, केदार पुत्र हेमराज हि. 5/12, राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया हिण्डौन सिटी, रूमन्ती पुत्री हेमराज हि. 1/12. शांति पुत्री हेमराज हि. 1/12, जाति गूर्जर निवासी निसूरा को ख0न0 135/0.13, 136/0.10, 498/0.11, 955/0.02, 1204/0.12, 1330/0.06, 1460/0.06, कुल किता 7 कुल रकबा 0.60 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आरजी मे मजाहमत मदखलत नही करें।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................अदा करे।

बसब्त मेरे दरतखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

28/2/2020

दस्तखत उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
ओहदा.........................

Scanned by CamScanner

15.2.18

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 115/2017

तारीख रजू:– 05.09.2017

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. धर्मसिंह पुत्र चिरंजी जाति गूर्जर निवासी निसूरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल वासी कडी गावडी तहसील गंगापुर सिटी जिला स0मा0।
2. राजकुमार पुत्र बजरंगलाल गूर्जर निवासी सालौदा तहसील गंगापुर जिला स0मा0।

(वादीगण)

बनाम

1. वरन पुत्र हेमराज गूर्जर
2. केदार पुत्र हेमराज
   जाति गूर्जर निवासी गूर्जर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
4. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा हिण्डौन सिटी।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

दावा बावत डिवीजन ऑफ हॉल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादीगण 1, 2)

निर्णय

दिनांक:– 28.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम निसूरा स्थित आराजीयात ख0न0 135/0.13, 136/0.10, 147/0.15, 162/0.29, 180/0.04, 181/0.15, 498/0.11, 955/0.02, 956/0.02, 1204/0.12, 1330/0.06, 1460/0.06, 1958/0.09, 2799/0.32, 2617/0.03, 3063/0.10 कुल किता 16 कुल रकवा 1.79 है0 मे वादीगण हिस्सा 2/3 के खातेदार है तथा हिस्सा 1/3 के प्रतिवादी न0 1 व 2 के खातेदार है हाल राजस्व रिकार्ड मे भी इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। वादी न0 2 राजकुमार ने पूर्व सम्पतसिंह के हिस्सा 1/3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है तथा वादी राजकुमार के नाम नामांतकरण सख्या 677 दिनांक 7.9.2016 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। उक्त आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 के मध्य काश्त,डोलमेड, लगान के संबध मे आपसी विवाद बना रहता है। इसलिये वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 व 2 से दिनांक 31.8.2017 को तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा कराने को कहा तो उन्होने तहसील मे जाने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम बटवारा नही चाहते है इसलिये वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी न0 1 व 2 बावत डिविजन ऑफ होल्डिग **डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 135/0.13, 136/0.10, 147/0.15, 162/0.29, 180/0.04, 181/0.15, 498/0.11, 955/0.02, 956/0.02, 1204/0.12, 1330/0.06, 1460/0.06, 1958/0.09, 2799/0.32, 2617/0.03, 3063/0.10 कुल किता 16 कुल रकवा 1.79 है0 मे वादीगण का हिस्सा 2/3 अलग खाता व लगान कायम किया जावे। तथा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर वादीगण के हक मे फाईनल डिकी प्रदान की**

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (...)

Scanned by CamScanner

जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात मे वादीगण के 2/3 हिस्से मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे।

अत दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रवितादी न0 1 व 2 की ओर से जरिये वकील पेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे वर्णित तथ्य मनगढंत व कपोल कल्पित है वादीगण का वर्णित आराजीयात पर कब्जा ही नही है तो डोल-मेढ व लगान संबधी विवाद होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। वादीगण द्वारा वर्णित तथ्यो मे रिलीफ पाने का हकदार नही है वादीगण का आराजीयात के किसी भी हिस्से पर काबिज नही है वादीगण ने समस्त गलत तथ्यो के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है वादी न0 1 धर्मसिंह तथा सम्पत द्वारा उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण को बेचान कर कब्जा करा दिया तथा वे गाव छोडकर ग्राम कडीगावडी तहसील गंगापुर मे जा बसे चूकि धर्मसिंह , सम्पत, हेमराज खास भाई थे तो कोई विवाद किसी भी प्रकार का नही रहा। सम्पत से जो रजिस्ट्री राजकुमार के हक मे करवाई है। वह राजकुमार धर्मसिंह के पुत्र रामकेश का साला है जो बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के करायी है जो अवनीसीयो बोईड व प्रभावहीन प्रतिवादीगण है विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा नही है तथा निसूरा के मूल निवासी भी नही है कब्जे के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी वकील ने सीधे ही कथन किया कि दावा आराजीयात के तकास्मा से संबधित है। जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जावे। वादी वकील ने भी दावा प्राथमिक डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्षकारान ने भी सहमति दर्ज करायी कि जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदारान का अलग-अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया जावे, वकील उभयपक्षकारान की सहमति पर दावा प्राथमिक डिक्री कर खातेदारान का अलग-अलग खाता कायम करते हुये बटवारा स्कीम हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया, वकील उभयपक्षकारान की सहमति से बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाता है।

अतः वादी धर्मसिंह पुत्र चिरंजी जाति गूर्जर निवासी निसूरा हाल वासी कडी गावडी तहसील गंगापुर सिटी को ग्राम निसूरा की आराजी ख0न0 147/0.15, 2799/0.32, 2817/0.03, 3063/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.60 है0 का, वादी राजकुमार पुत्र बजरंगलाल जाति गूर्जर निवासी सालोदा तहसील गंगापुर स0मा0 को ख0न0 162/0.29, 180/0.04, 181/0.15, 956/0.02, 1958/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.59 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी वरन पुत्र हेमराज हि. 5/12, केदार पुत्र हेमराज हि. 5/12, राहिन यूनियन बैक ऑफ इण्डिया हिण्डौन सिटी, रूमन्ती पुत्री हेमराज हि. 1/12, शांति पुत्री हेमराज हि. 1/12, जाति गूर्जर निवासी निसूरा को ख0न0 135/0.13, 136/0.10, 498/0.11, 955/0.02, 1204/0.12, 1330/0.06, 1460/0.06, कुल किता 7 कुल रकवा 0.60 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आरजी मे मजाहमत मदखलत नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: